बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा Ease of Doing Business के संदर्भ में Business Reform Action Plan, 2017 हेतु अनुशंसित बिन्दुओं का कार्यान्यवयन किया जाना है। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा "बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953" के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने के पूर्व प्रतिष्ठानों अथवा स्थापनाओं का पूर्व निरीक्षण की कार्रवाई नहीं की जाने एवं एक दिन के अन्दर निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

उक्त औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा की गयी उक्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व प्रतिठानों/स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं किया जाएगा।

ii) बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 के मामलें में सभी निरीक्षी पदाधिकारी आवेदन के साथ नियमानुसार आवश्यक संलग्न दस्तावेज के संतुष्टि के पश्चात यथा संभव निबंधन प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्ति के एक दिन (कार्य दिवस) के अंदर निर्गत करे। यदि निरीक्षण की आवश्यकता महसूस होती है तो निबंधन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर निरीक्षण किया जा सकता है।

iii) यह आदेश तुरंत प्रवृत होगा।

iv) आदेश में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(सुजीत कुमार राय)
संयुक्त श्रमायुक्त।

ज्ञापांकः- 1/एफ01-116/2015 श्र0सं0 6153 पटना, दिनांक 31.10.17

प्रतिलिपिः- श्री राजेश कुमार सिंह, स्टेट इन्फॉरमेटिक्स ऑफिसर, एन०आई०सी०, तकनीकि भवन, बेली रोड़ पटना/श्रीमती प्रियेस नंदिनी, आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/10
संयुक्त श्रमायुक्त।